निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 20/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. शंकर लाल स्वामी पुत्र स्व॰ श्री चौथमल
2. महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र स्व॰ श्री चौथमल

समस्त जाति स्वामी, निवासी नई माता के सामने, मुकुन्दबाग की ढाणी, राधा कुण्ड, दिल्ली बाईपास रोड, कस्बा आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर जयपुर ।
2. श्रवण पुत्र स्व॰ श्री जोहरी लाल
3. पप्पू पुत्र स्व॰ श्री जोहरी लाल

समस्त जाति स्वामी निवासी नई माता के सामने मुकुन्दबाग की ढाणी, राध कुण्ड दिल्ली बाईपास रोड, कस्बा आमेर, जिला जयपुर।

4. श्रीमती कोशल्या देवी पुत्री स्व॰ श्री जोहरी लाल धर्मपत्नी श्री गोपाल जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर
5. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व॰ श्री जोहरी लाल पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति स्वामी निवासी गन्नीपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
6. श्रीमती पप्पी देवी पुत्री स्व॰ श्री जोहरी लाल पत्नी श्री प्रहलाद नारायण जाति स्वामी निवासी गन्नीपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
7. रामकिशाोर पुत्र स्व॰ श्री गोविन्दराम जाति स्वामी निवासी डाविच गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
8. श्रीमती लाली देवी पुत्री स्व॰ श्री गोविन्दराम पत्नी श्री गजानन्द जाति स्वामी निवासी धराजपुरा, तहसील निवाई, जिला टौक।
9. श्रीमती फूली देवी पुत्री स्व॰ गोविन्दराम पत्नी श्री महावीर जाति स्वामी निवासी ग्राम लाम्या मालपुरा, तहसील मालपुरा जिला टौंक।
10. श्रीमती प्रेम देवी पुत्र स्व॰ श्री गोविन्दराम पत्नी श्री बद्रीनारायण जाति स्वामी निवासी लाम्या मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
11. श्रीमती शान्ती देवी बेवा स्व॰ श्री गोपाल
12. रमेश चन्द पुत्र स्व॰ श्री गोपाल
13. देवी बाई पुत्री स्व॰ श्री गोपाल
14. गीता बाई पुत्री स्व॰ श्री गोपाल

समस्त जाति स्वामी, निवासी राधाकुण्ड, कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

15. मुकेश पुत्र गोपाल लाल शर्मा
16. राजेश पुत्र गोपाल लाल शर्मा
17. दिनेश पुत्र गोपाल लाल शर्मा

जिला कलक्टर
जयपुर

समस्त जाति स्वामी निवासी प्लाट नम्बर 1941 खजाने वालों का रास्ता तीसरा चौराहा, जयपुर ।

18. रतन बाई पुत्र स्व॰ श्री नारायण जाति स्वामी निवासी राधा कुण्ड, कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
19. संतोष देवी पत्नी तुलसीराम
20. बुलेश पुत्र तुलसीराम
21. मोहन पुत्र तुलसीराम

समस्त जाति स्वामी निवासी बी–55, लक्ष्मीनाराणपुरी, गलता रोड, जयपुर ।

22. अन्जना पुत्री तुलसीराम पत्नी मोहन लाल जाति स्वामी निवासी बास बदनपुरा, जयपुर तहसील जयपुर ।
23. रामकिशन पुत्र स्व॰ श्री ग्यारसी लाल जाति स्वामी निवासी आमेर हालवासी–बी 55, लक्ष्मीनाराणपुरी, गलता, जयपुर ।
24. राजीव पुत्र हजारीलाल
25. संजय पुत्र हजारीलाल
26. देवेन्दा पुत्र हजारीलाल
27. दीपा पुत्री हजारी लाल

समस्त जाति स्वामी निवासी प्लाट नं॰ 320 विजय वाडी, ढेहर के बालाजी, सीकर रोड, पथ नम्बर 6, गांधी बाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पास, जयपुर।

28. श्रीमती मंजूला शर्मा पुत्री स्व॰ श्री ग्यारसी लाल पत्नी श्री रामअवतार शर्मा जाति स्वामी निवासी 4/85 सुधराई कालोनी, पुलिस लाईन के पीछे, अरबोटा वडौदा, गुजरात ।
29. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम बिहारी गुप्ता जाति महाजन निवासी 36, गोविन्द नगर पश्चिम, आमेर रोड, तहसील व जिला जयपुर।
30. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी श्री समन्दर सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ए –50 कल्याण कालोनी, टौक फाटक, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
31. निखिल अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र अग्रवाल जाति अग्रवाल महाजन निवासी बी–83 सेठी कालोनी, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।
32. समन्दर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ए–50 कल्याण कालोनी, टौक फाटक, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
33. रामप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री श्याम बिहारी गुप्ता जाति महाजन निवासी 36, गोविन्द नगर पश्चिम, पंकज मार्ग, आमेर रोड, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
34. कुमारी नेहा अग्रवाल पुत्री श्री राजेन्द्र अग्रवाल निवासी बी–83 सेठी कालोनी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
35. श्रीमती चन्दी देवी पत्नी सेडूराम
36. नन्द किशोर पुत्र सेडूराम

जिला कलक्टर
जयपुर

37. दीपचन्द पुत्र सेडूराम

समस्त जाति माली, निवासी ठाठर कालोनी, बुलाका की ढाणी, आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

38. कौशल्या पुत्री सेडूराम पत्नी श्री कमल कुमार सैनी निवासी मंगोडी वाली बगीची, लक्ष्मी नगर द्वितीय, ब्रह्मपुरी, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।

39. मंजू देवी पुत्री सेडूराम जाति माली निवासी ठाठर कालोनी बुलाका की ढाणी, आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

40. रामनारायण पुत्र श्री हुक्मा

41. जगन्नाथ पुत्र श्री हुक्मा

समस्त जाति माली निवासी कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

42. श्रीमती मन्नी देवी पत्नी स्व॰ श्री चौथमल जाति स्वामी निवासी नई माता के सामने मुकन्दबाग की ढाणी, राधाकुण्ड दिल्ली बाईपास रोड, कस्बा आमेर जिला जयपुर ।

43. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2013 ब उनवानी चौथमल व अन्य बनाम मु॰ तीजा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री मनीष पारीक अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 31 व 34 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 03.09.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 02/2013 ब उनवानी चौथमल व अन्य बनाम मु॰ तीजा व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर फास्ट ट्रैक के समक्ष विचाराधीन वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में निर्णय हम अपने पक्ष में करवा कर रहेंगे और तुम्हारे द्वारा हमारे विरूद्व जारी किया गया स्टै एवं तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करवा कर रहेंगे तथा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के यहां कार्यरत रीडर को हमने अपने पक्ष में कर लिया है और अब तुम वहां जीत कर बताओ। हम देखते

है, तुम कैसे प्रकरण में जीतोगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से स्पष्ट प्रकट हो रहा है । क्योंकि दिनांक 12.02.2020 को वकीलों की हडताल के दौराने न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष दिनांक 12.02.2020 को विचाराधीन समस्त मुकदमों में जनरल तारीख पेशी दिनांक 25.02.2020 नियत की गई, लेकिन वादीगण प्रार्थीगण के मुकदमें में अप्रार्थीगण जो की धनाढ्‌य एवं प्रभावशाली व्यक्ति है, से मिलीभगत कर चुपचाप तारीख पेशी अलग से काज लिस्ट में दिनांक 17.02.2020 नियत कर दी जिससे भी साफ स्पष्ट है कि न्यायालय में दिनांक 12.02.2020 को काज लिस्ट में वादीगण प्रार्थीगण के मुकदमें के अलावा अन्य 25 मुकदमों में तो एक ही तारीख पेशी अर्थात जनरल तारीख दिनांक 25.02.2020 नियत की गई, लेकिन वादीगण प्रार्थी के मुकदमें में चुपचाप तारीख पेशी दिनांक 17.02.2020 अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर दी गयी। जिससे साफ स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर एवं न्यायालय में कार्यरत रीडर अविनाश शर्मा अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्दी के लिए एक गरीब काश्तकार को न्याय से वंचित करने पर उतारू हो रहे है, जिन्हें रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि उक्त परिस्थितियों से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 22 व 25 से साझ कर मुकदमें में कार्यवाही की जा रही है और अप्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए उन्हें लाभांश पहुंचाने की नियत से उपरोक्त समस्त कार्यवाही की गई है। जैसा कि मुकदमें की पत्रावली एवं आर्डरशीट से स्पष्ट है और अन्तिम निर्णय भी उनके अनुसार ही करने पर उतारू हो रहे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष वादीगण प्रार्थी चौथमल मृतक जरिये वारीसान श्रीमती मन्नी देवी वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 2/2013 उनवानी चौथमल बनाम तीजा एवं अस्थाई निषेधा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2017 उनवानी चौथमल मृतक दौराने दावा जरिये वारीसान श्रीमती मन्नी देवी व अन्य बनाम मु॰ तीजा वगैरह के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से अधीनस्थ न्यायालय की मंशा स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है, कि यह स्वयं न्याय की कुर्सी पर बैठ कर निष्पक्ष न्याय नहीं करना चाहते है। अपने आप स्वयंभू बन कर प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के अनुसार उनको लाभांश पहुंचाने की गरज से अपने व्यक्तिगत हित सिद्व करने पर उतारू है, उन्हें इस बात की कतई परवाह नही है की एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभांश पहुंचाने से कितने व्यक्तियों का अहित हो रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी शंकर लाल व अन्य द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्ररतुत करना आवश्यक हुआ तथा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानूनन आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 31 व 34 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर की पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2013 ब उनवानी चौथमल व अन्य बनाम मु॰ तीजा व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है।
6. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2020 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक **03.09.2020** को सरे इजलास सुनाया गया ।

3/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर